

शरणा

2017/00262

12/03/21 27/12/17
(आदेश) 20/3/18

नवरांग

30 au
37/17

दिनांक 136

दिनांक 10/10/17

दिनांक 12/3/17

14/6/18
6/8/18

2/7/18

4/9/18

4/10/18

17/4/21

8/2/18

6/5/19

20/5/19

26/6/19

रिकार्ड फाईल

मिथिली पत्र तहसील

फाईल नं०.....

नाम	_____
विषय	_____
पता	_____
क्रमांक	_____ से _____ तक
दिनांक	_____ से _____ तक

3/1/19

11/10/19

2/12/19

27/1/20

24/2/20

14/5/20

20/6/20

11/9/20

15/9/20

6/11/20

17/11/20

29/1/21

4/3/21

गयांलक्ष शक्ति

वर्ष- 20 - 20

प्राप्ति स्थान

जैमिनीदास एण्ड सन्स

हास्पिटल रोड, आगरा



FORM No. IH
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....
 31/05/2017 आठवारी कामा
 मेघ सिंह चनाम तहसील का (कामा)
 किस्म मुकदमा..... नं. सन.....
 100 प्य बाप 136 प्य प्य 31/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न्यत्र व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/17	प्रार्थना पत्र की जिहा है। प्रार्थना पत्र मयुलार तहसील का - कामा है जिहा व मौक की रिपोर्ट हेतु जिहा का पमावनी दिनांक 27/12/17 को प्रेषण है। पीएमपीन अधिकारी बीजा मयुलार 27/12/17 एलडीओ/एलडीओका	31/11/17
20/3/18	वहीन प्रार्थना पत्र 300। प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट मयुलार इलाका जिहा व कामा पमावनी दिनांक 14/6/18 को प्रेषण है।	31/03/18
14/6/18	वहीन प्रार्थना पत्र 300। प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट मयुलार इलाका जिहा व कामा पमावनी दिनांक 6/8/18 को प्रेषण है।	31/08/18
31/8/18	वहीन प्रार्थना पत्र 300। प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट मयुलार इलाका जिहा व कामा पमावनी दिनांक 31/8/18 को प्रेषण है।	31/08/18
10/11/18	वहीन प्रार्थना पत्र 300। प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट मयुलार इलाका जिहा व कामा पमावनी दिनांक 4/9/18 को प्रेषण है।	

413121 डि. प्रान्त 3001 कहे आरिभ सुनी
प्राप्ती करके आदेश निम्न 123121
के प्रकाश है।

MP
उपखण्ड अधिकारी
बयान (भारतपुर)

123121 प्रकरण पेश हुआ। खंडी प्रान्त 3001
प्रान्त ने यह प्रमाण पत्र था 136 PR
के तहत पेश कर निर्दिष्ट किया है कि
आ. ए. नं. $\frac{312}{0.27}$, $\frac{317}{0.17}$, $\frac{318}{0.10}$, $\frac{319}{0.13}$, $\frac{341}{0.37}$,
किस 5 कुल एका 1.04 व आ. ए. नं. $\frac{310}{0.48}$,
 $\frac{311}{0.24}$, $\frac{2225}{0.79}$, $\frac{2226}{0.02}$, $\frac{2227}{0.21}$, $\frac{2228}{0.32}$, $\frac{2290}{0.12}$,
 $\frac{2291}{0.08}$, $\frac{2291}{0.12}$ कित 9 वका 2.38 व ए. ए. नं.

2290/240 एका 0.13, 2291/2407 एका
0.08 कित 2 एका 0.21 वके गान शे गान
तहलील वपान का सहकार्य है। प्रान्त
राजख रिकार्ड में नाम नेकसिह पुत्र अमरिह
जारी हुए कितारी शे गान तहलील वपान
करी है जो कितार कितारी व मोडा, कागज है।
प्रान्त का सही नाम रिकार्ड के मुताबिक मेधसिह
पुत्र अमरिह जाति अमर कितारी शे गान तहलील
वपान है। राजख कितारी की गलती
से प्रान्त का हाल राजख रिकार्ड में नेकसिह
करी कर दिया है जबकि सही नाम मेधसिह
है। अमर गान की वजह से प्रान्त की
भाती हड तकनी है। अतः प्रमाण पत्र
प्रान्त लीकार करने का निर्दिष्ट किया है।
प्रमाण पत्र पेश होने पर कितारी ए. ए. नं.
का प्रमाण पत्र अतः तहलीलदार वपान
से रिकार्ड व मोडे की रिपोर्ट जारी है।

MP
उपखण्ड अधिकारी
बयान (भारतपुर)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुक्म

तहसीलदार बपाना के पत्रांक | 19/11/2019
 दिनांक 11/11/2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार
 बपाना ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि
 खाला संख्या 246 के खण्ड 312, 317, 318,
 319, 341 मिला 5 कुल एका 104 है व खाला
 संख्या 247 के खण्ड 310, 311, 2225,
 2226, 2227, 2228, 2290, 2291, 2292
 मिला 9 कुल एका 238 है व खाला संख्या
 245, 352, 353, 461, 462 वाले ग्राम खोरा
 तहसील बपाना में ग्रामी का नाम नैक सिंह
 पुत्र धर्म सिंह गाँव गुरुर सिवासी खोरा इलाक़ा
 रिवाडी है जो ग्रामी के पिता धर्म सिंह के देहात
 होने के बाद विरासत का पात्र है। खाला संख्या
 638 द्वारा नैक सिंह पुत्र धर्म सिंह को रिवाडी
 हुआ है जबकि ग्रामी मेघ सिंह पुत्र धर्म सिंह
 नाम पुत्र काला-बाहल है। नानाकाला
 की कंपनी रिवाडी नाम अंकित है।

हमने विद्वान् अडिभासुड ग्रामी को
 सुना। पत्रावली में लखन एकाख रिवाडी
 जमा वसी 2069-72 व तहसीलदार बपाना की
 रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। जमा 0
 लखन 2069-72 में ग्रामी का नाम नैक सिंह
 को अंकित है। ग्रामी ने ऐसा कोई
 राजस्व रिवाडी उपलब्ध नहीं कराया है जिसे
 ग्रामी के इन लखन नम्बरों में ग्रामी का
 नाम मेघ सिंह को है। खोरा में से ग्रामी
 का आपदा वाद का ऐसा राजस्व रिवाडी पत्र
 नहीं मिला है जिसे आयात पूरा ग्रामी अपने
 नाम में संपोषण बाहल है। तहसीलदार
 बपाना ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है
 कि विरासत के नानाकाला संख्या 638 द्वारा
 नैक सिंह पुत्र धर्म सिंह को रिवाडी हुआ है।
 यदि नानाकाला विरासत से नैक सिंह पुत्र

19/11/2019
 तहसीलदार बपाना (भरतपुर)

तारीख
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

धन सिंह की रिफाई हुकम हैरी प्राणी को
सम्बन्धित नामकरण की कृषि लक्ष्य
न्यायालय में पेश करी - वाहिए की। प्रकृत
धारा 136 CR Act के मुद्दे का गी - होने
के कारण रखाजि योग्य है।

आदेश -

अतः प्राप्ति पर प्राणी रखाजि किशोरा
के। पशुवकी फेंडल बुमार हीर नखर
के। कल है। बाद तम्मील काठिल इतर
है। नितीय आज डिमांड #2/3/2010 में
हार बिलाया जाकर रुपले न्यायालय सुनाय
गया।


उपस्थंड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)